रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230228
CG-DL-E-07102021-230228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
No. 580] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 722(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत आवश्यकतानुसार, यथा-संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 9(1) के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी नियमों को प्रस्तुत करने के लिए, केंद्र सरकार एतद्वारा ऐसी जनता और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना जारी करने और उसे प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है, जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतद्वारा द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा उस तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद मान्य माना जाएगा, जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी गयी हैं;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते पर: satyendra.kumar07@nic.in, amit.love@nic.in पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में आपत्ति या सुझाव दे सकता है।

मसौदा अधिसूचना

चूंकि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 विशेष रूप से 2017 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के संबंध में प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था;

और चूंकि, इस समिति में विभिन्न राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल थे और विभिन्न हितधारकों ने इन नियमों में उनके सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्तुतिकरण/प्रतिवेदन दिए थे;

और चूंकि, मंत्रालय ने 12 और 13 नवंबर 2018 को बेंगलुरु में और 19 और 20 दिसंबर 2018 को रांची में और 20 और 21 जनवरी 2019 को चंडीगढ़ में सीआईआई द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं के दौरान और 09 मार्च, 2019 को अलग से आयोजित बैठक में मंत्रालय ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय ढांचे के लिए मॉडल विकसित करने के संबंध में हितधारकों के साथ परामर्श किया;

और चूंकि, हितधारकों की बैठकों की एक श्रृंखला के परिणामों, मुख्य निष्कर्षों और विषय पर विशेषज्ञ समिति से प्राप्त खास जानकारी का उपयोग करते हुए, मंत्रालय द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए एक समान रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मसौदा दिशानिर्देश दस्तावेज विकसित किया गया था। इसे 18 मई, 2020 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था और 23 जून 2020 को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था जिसमें 31 जुलाई, 2020 तक सामान्य जनता से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए थे;

और चूंकि मंत्रालय को विभिन्न हितधारकों और संगठनों से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए एक समान ढांचे के दिशानिर्देश दस्तावेज पर लगभग 160 टिप्पणियां प्राप्त हुईं। ये टिप्पणियां अन्यों के साथ-साथ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, केरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों, उद्योग, उद्योग संघों, नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों से प्राप्त हुई थीं;

और चूंकि, मसौदा दिशानिर्देशों के प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच उद्योग और उद्योग संघों के साथ व्यापक संवाद हुआ था और हितधारकों से भी प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

और चूंकि, मसौदा दिशानिर्देशों के जवाब में प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित हितधारकों द्वारा अलग से प्रदान की गई टिप्पणियों पर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संबंध में मसौदा विनियम तैयार करते समय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

इसलिए, अब केंद्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी विनियमों को अधिसूचित करती है:

अनुसूची

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) संबंधी विनियम

1. पृष्ठभूमि

1.1 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), जिसे इसके बाद 'मंत्रालय' कहा जाएगा, ने 18 मार्च 2016 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया था। मंत्रालय ने 8 अप्रैल, 2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को भी अधिसूचित किया था। चूंकि प्लास्टिक अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों नियमावली देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन पर लागू होती हैं।

1.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को प्लास्टिक अपशिष्ट कम उत्पन्न कम करने, प्लास्टिक अपशिष्ट को न फैलाने, स्रोत पर ही अपशिष्ट का अलग भंडारण सुनिश्चित करने और स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों द्वारा अधिकृत एजेंसियों को अलग किए गए अपशिष्ट को सौंपने की जिम्मेदारी सौंपती है। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों, खुदरा विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वालों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करते हैं।

1.3 इन नियमों ने प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण के लिए उत्पादक, आयातक, ब्रांड के मालिक पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) डाला है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पूर्व-उपभोक्ता और उपभोक्ता के बाद के प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट दोनों पर लागू होगा।

1.4 ये विनियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विनियम उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, पुनर्चक्रणकर्ताओं और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में दी गई परिभाषाएं इन विनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित होने तक लागू होती हैं।

2. प्रभावी होने की तारीख

2.1 ये विनियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। EPR उत्तरदायित्वों से संबंधित चल रही प्रक्रियाओं को इन दिशानिर्देशों के साथ जोड़ा जाएगा।

3. परिभाषाएं

"ब्रांड मालिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या कंपनी से है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल/ट्रेडमार्क से कोई वस्तु बेचता है;

"कैरी बैग्स" (प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी II के तहत कवर - खंड 5.1 (II)) से तात्पर्य प्लास्टिक सामग्री या कंपोस्ट हो सकने योग्य प्लास्टिक सामग्री से बने बैग से है, जिनका उन वस्तुओं को ले जाने या वितरित करने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, जिनमें स्वयं ले जाने की सुविधा होती है, लेकिन इसमें ऐसे बैग शामिल नहीं है जो पैकेजिंग का एक अभिन्न अंग हो जिसमें उपयोग करने से पहले माल को सील कर दिया जाता है;

"मियाद खत्म होने पर निपटान" से तात्पर्य ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) या अपशिष्ट से तेल या भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण आदि के लिए इस्तेमाल करना शामिल हैं।

"विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)" का अर्थ उत्पाद की मियाद समाप्ति तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए एक उत्पादक की जिम्मेदारी है;

"आयातक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद या प्लास्टिक पैकेजिंग या कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के उत्पादों का आयात करता है;

"प्लास्टिक" का अर्थ ऐसी सामग्री से है जिसमें एक आवश्यक घटक के रूप में एक उच्च बहुलक होता है जैसे पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट, उच्च घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व वाला पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइन रेजिन, एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन, पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन टेरेफ्थेलेट जैसी बहु-सामग्री होती हैं;

"प्लास्टिक शीट" से तात्पर्य ऐसी प्लास्टिक शीट से है जो प्लास्टिक से बनी शीट होती है;

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता" से तात्पर्य ऊर्जा के लिए प्लास्टिक का उपयोग (अपशिष्ट से ऊर्जा) और इसे तेल (अपशिष्ट से तेल) में परिवर्तित करने में लगे पुनर्चक्रणकर्ता और संस्थाएं हैं।

"उत्पादक" का अर्थ है कैरी बैग या मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इसी तरह के उत्पादन या आयात में लगे व्यक्ति, और इसमें पैकेजिंग या पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग से बने प्लास्टिक शीट या कवर या कवर का उपयोग करने वाले उद्योग या व्यक्ति शामिल हैं;

"पुनर्चक्रणकर्ता" वे संस्थाएं हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगी हुई हैं;

"पुनर्चक्रण" का अर्थ अलग-अलग प्लास्टिक अपशिष्ट को नए उत्पाद या कच्चे माल में नए उत्पादों के उत्पादन के लिए बदलने की प्रक्रिया है;

"पुन: उपयोग" का अर्थ है किसी वस्तु या संसाधन सामग्री का फिर से उसी उद्देश्य या किसी अन्य उद्देश्य के लिए वस्तु की संरचना को बदले बिना उपयोग करना है:

"पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग" का अर्थ है कि वर्जिन प्लास्टिक के बजाय पुनर्चक्रित प्लास्टिक को, उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है

"अपशिष्ट प्रबंधन" का अर्थ है पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण, परिवहन में कमी, पुन: उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, खाद बनाना या निपटान करना;

"अपशिष्ट से ऊर्जा" का अर्थ ऊर्जा उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करना है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) शामिल है।

4. वह ईकाइयां जिन पर ये नियम लागू होंगे

निम्नलिखित ईकाइयों को EPR दायित्वों और इस सूचना की शर्तों के तहत कवर किया जाएगा:

(i) प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादक (P)

(ii) आयातित उत्पादों के सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और / या प्लास्टिक पैकेजिंग का आयातक (I)

(iii) ब्रांड मालिक (BO) जिसमें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म / मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट / खुदरा श्रृंखला अन्य शामिल है, जो सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम हैं।

(iv) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण

5. EPR की व्याप्ति

5.1 निम्नलिखित प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणियां EPR के अंतर्गत आती हैं:

(i) श्रेणी I

सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग

(ii) श्रेणी II

सिंगल लेयर या मल्टीलेयर (विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक के साथ एक से अधिक लेयर), प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक शीट से बने कवर, कैरी बैग (कम्पोस्ट करने योग्य प्लास्टिक से बने कैरी बैग सहित), प्लास्टिक पाउच या पाउच की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग

(iii) श्रेणी III

मल्टीलेयर प्लास्टिक पैकेजिंग (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री की कम से कम एक परत)

5.2 प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में EPR विनियम में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. पुन: उपयोग

ii. पुनर्चक्रण

III. पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग

iv. मियाद खत्म होने पर निपटान

6. पंजीकरण

6.1 निम्नलिखित संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत होंगी:

I. उत्पादक (P)

ii. आयातक (I)

III. ब्रांड मालिक (BO)

iv. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जो (क) पुनर्चक्रण, (ख) अपशिष्ट से ऊर्जा, (ग) अपशिष्ट से तेल बनाने के काम में लगे हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली के नियम 13(2) और 13(3) के अनुसार पीआईबीओ (एक या दो राज्यों में काम कर रहे) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का पंजीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत EPR पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

6.2 खंड 6.1 के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किए बिना कोई व्यवसाय नहीं करेंगी।

6.3 खंड 6.1 के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पंजीकृत किसी भी इकाई के साथ काम नहीं करेंगी।

6.4 यदि यह पाया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि किसी पंजीकृत संस्था ने झूठी जानकारी प्रदान की है या जानबूझकर जानकारी छुपाई है या कोई अनियमितता है, तो ऐसी इकाई का पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा और/या सुनवाई का अवसर देने के बाद जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जिन संस्थाओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वे निरसन की अवधि के लिए नए सिरे से पंजीकरण करने में सक्षम नहीं होंगी।

6.5. यदि कोई संस्था खंड 6.1 में उल्लिखित एक से अधिक उप-श्रेणी में आती है, तो ऐसी संस्था उन प्रत्येक उप-श्रेणियों के तहत अलग से पंजीकृत होगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, जहां संस्था की खंड 6.1 में उल्लिखित एक विशेष उप-श्रेणी में अलग-अलग राज्यों में इकाइयां हैं, तो इन इकाइयों को भी अलग से पंजीकृत किया जाएगा। हालांकि, एक राज्य में एक उपश्रेणी के तहत केवल एक पंजीकरण की आवश्यकता होगी, भले ही, एक राज्य में एक से अधिक इकाइयां स्थित हों। यह पंजीकरण, इन दिशानिर्देशों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगा।

6.6 पंजीकरण करते समय, संस्थाओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पंजीकरण के लिए प्रोफार्मा में सभी निदेशकों/अधिकृत व्यक्तियों का पैन नंबर, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर और आधार और पैन नंबर और कोई अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

7. पीआईबीओ के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और दायित्वों के लिए लक्ष्य

7.1 पीआईबीओ के लिए EPR लक्ष्य श्रेणी-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित किए जाएंगे

7.2 उत्पादक(P)

क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन (पहली तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (श्रेणी-वार और राज्य-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4 (iii) के तहत कवर की गई संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा (ग) घटाई जाएगी।

Q 1 (in MT) = (क + ख) - ग

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, श्रेणी-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

सारणी- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य

	वर्ष	**विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य (पहली तिमाही के प्रतिशत के रूप में-श्रेणी-वार और राज्य-वार)**
I	2021-22	35 %
II	2022 – 23	70 %
III	2023 – 24 और उसके बाद से	100 %

श्रेणी-वार और राज्य-वार आधार पर मीट्रिक टन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में उत्पादक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

ख) पुनर्चक्रण के लिए बाध्यता (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (मियाद खत्म होने पर निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (मियाद खत्म होने पर निपटान को छोड़कर)

[विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य का %]

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 और उसके बाद**
श्रेणी I	50	60	70	80
श्रेणी II	30	40	50	60
श्रेणी III	30	40	50	60

ग) मियाद खत्म होने पर निपटान (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बहुपरतीय अथवा मल्टीलेयर वाली बहु-सामग्री प्लास्टिक (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और अन्य सामग्री की कम से कम एक परत), को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे मियाद समाप्ति निपटान के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि यथा संशोधित, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 5(1)(ख) में उल्लिखित तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन होने से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, यथा संशोधित, के प्रावधानों लागू हो जाएंगे।

घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 6 देखें)

उत्पादक नीचे दिए गए अनुसार श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष में निर्मित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 और उसके बाद**
श्रेणी I	30	40	50	60
श्रेणी II	20	20	30	30
श्रेणी III	5	5	10	10

ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक आवश्यकताओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में दायित्व को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, पीआईबीओ को ऐसे पीआईबीओ से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक शब्दों में) के उपयोग के अपने दायित्व को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने दायित्व से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

7.3 आयातक (I)

क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन (दूसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री और/या आयात किए गए उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी-वार और राज्य-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा को जोड़ा जाएगा और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4 (iii) के तहत कवर की गई संस्थाओं को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा में से अपशिष्ट की मात्रा (ग) घटाई जाएगी।

Q 2 (in MT) = (क + ख) – ग

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, श्रेणी-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

	वर्ष	**विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य (दूसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - श्रेणी-वार और राज्य-वार)**
I	2021-22	35 %
II	2022 – 23	70 %
III	2023 – 24 और उसके बाद	100 %

श्रेणी-वार और राज्य-वार आधार पर मीट्रिक टन में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में आयातक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

ख) पुनर्चक्रण के लिए दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

आयातक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (मियाद समाप्ति निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (मियाद समाप्ति निपटान को छोड़कर)

(विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 और उसके बाद**
श्रेणी I	50	60	70	80
श्रेणी II	30	40	50	60
श्रेणी III	30	40	50	60

ग) मियाद समाप्ति पर निपटान (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बहुपरतीय अथवा मल्टीलेयर बहु-सामग्री प्लास्टिक (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और अन्य सामग्री की कम से कम एक परत), को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे मियाद समाप्ति में निपटान के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

आयातक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 , यथा संशोधित, नियम 5(1)(ख) में उल्लिखित तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन होने से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, यथा संशोधित, के प्रावधानों लागू हो जाएंगे।

घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 6 देखें)

आयातक नीचे दिए गए अनुसार श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष में आयातित प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 और उसके बाद
श्रेणी I	30	40	50	60
श्रेणी II	20	20	30	30
श्रेणी III	5	5	10	10

आयातित सामग्री में प्रयुक्त किसी भी पुनर्चक्रित प्लास्टिक को दायित्व की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा। आयातक को ऐसे पीआईबीओ से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक शब्दों में) के उपयोग के अपने दायित्व को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने दायित्व से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

7.4 ब्रांड मालिक (BO)

क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

मीट्रिक टन में (तीसरी तिमाही) में पात्र मात्रा पिछले दो वित्तीय वर्षों में बाजार में खरीदी और पेश की गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री (श्रेणी-वार और राज्य-वार) का औसत वजन होगा (क) इसमें पिछले दो वित्तीय वर्षों में उपभोक्ता से पहले के चरण में प्लास्टिक पैकेजिंग की (ख) औसत मात्रा जोड़ी जाएगी ।

Q 3 (in MT) = क + ख

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, श्रेणी-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया जाएगा:

	वर्ष	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य (तीसरी तिमाही के प्रतिशत के रूप में - श्रेणी-वार और राज्य-वार)
I	2021-22	35 %
II	2022 – 23	70 %
III	2023 – 24 और उसके बाद	100 %

मीट्रिक टन में श्रेणी-वार और राज्य-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में BO द्वारा प्रदान किया जाएगा।

ख) पुन: उपयोग के लिए दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 4 और 5 देखें)

I. अपने उत्पादों के लिए श्रेणी I (सख्त) प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाले BO पर नीचे दिए गए अनुसार ऐसी पैकेजिंग का पुन: उपयोग करने का न्यूनतम दायित्व होगा।

श्रेणी I (सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग) के लिए पुन: उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व।

	वर्ष	**लक्ष्य (वर्ष में बेचे जाने वाले उत्पाद में श्रेणी I के सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में)**
A	श्रेणी I कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग जिसकी मात्रा या वजन 0.9 लीटर या किग्रा से अधिक या बराबर लेकिन 4.9 लीटर या किग्रा से कम हो, जैसा भी मामला हो	
I	2023 – 24	10
II	2024 – 25	15
III	2025 – 26	20
IV	2026 – 27 और उसके बाद	25
B	श्रेणी I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग जिसका वजन 4.9 लीटर या किग्रा से अधिक या बराबर है।	
I	2023 – 24	70
II	2024 – 25	75
III	2025 – 26	80
IV	2026 – 27 और उसके बाद	85

BO द्वारा पुन: उपयोग की जाने वाली सख्त पैकेजिंग की मात्रा की गणना BO की बिक्री से उस वर्ष में निर्मित/आयातित/खरीदी गई ताजा प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करके की जाएगी। BO यह जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराएगा।

II. श्रेणी I की सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की पुन: उपयोग की मात्रा को बाध्य संस्थाओं (BO) द्वारा श्रेणी I के तहत उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम किया जाएगा।

III. वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान पुन: उपयोग की गई श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग की मात्रा श्रेणी I के तहत उपयोग की जाने वाली कुल प्लास्टिक पैकेजिंग से कम हो जाएगी।

ग) पुनर्चक्रण के लिए दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

BO विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (मियाद खत्म होने पर किए गए निपटान को छोड़कर) सुनिश्चित करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (मियाद खत्म होने पर किए गए निपटान को छोड़कर)

[विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य का %]

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 और उसके बाद**
श्रेणी I	50	60	70	80
श्रेणी II	30	40	50	60
श्रेणी III	30	40	50	60

घ) मियाद समाप्ति पर निपटान (अनुलग्नक में उदाहरण 1 से 3 देखें)

केवल ऐसी प्लास्टिक, जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बहुपरतीय अथवा मल्टीलेयर बहु-सामग्री वाली प्लास्टिक (प्लास्टिक की कम से कम एक परत और अन्य सामग्री की कम से कम एक परत), को ही सड़क निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टों (सह प्रसंस्करण के लिए) आदि जैसे मियाद समाप्ति निपटान के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए भारतीय सड़क कांग्रेस/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

BO यह सुनिश्चित करेंगे कि, यथा संशोधित, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 नियम 5(1)(ख) में उल्लिखित तरीके से ही प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का अंतिम निपटान हो। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन होने से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, यथा-संशोधित, के प्रावधानों लागू हो जाएंगे।

च) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के लिए दायित्व (अनुलग्नक में उदाहरण 6 देखें)

BO नीचे दिए गए अनुसार श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष में बनाई गई प्लास्टिक का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग की श्रेणी	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 और उसके बाद
श्रेणी I	30	40	50	60
श्रेणी II	20	20	30	30
श्रेणी III	5	5	10	10

.ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक आवश्यकताओं के कारण पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के संबंध में दायित्व को पूरा करना संभव नहीं है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, पीआईबीओ को ऐसे पीआईबीओ से समकक्ष मात्रा के प्रमाण पत्र की खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित सामग्री (मात्रात्मक शब्दों में) के उपयोग के अपने दायित्व को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने दायित्व से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

ऐसे मामले में, जहां BO प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का P और/या I भी है, तो खंड 7.2 और

7.3 भी क्रमशः P और / या I के रूप में उनके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए लागू होंगे।

7.5 मीट्रिक टन में श्रेणी-वार और राज्य-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, जैसा भी लागू हो, सभी पीआईबीओ द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

7.6 पीआईबीओ को 2021-22 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों से 25% के विचलन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, प्रत्येक श्रेणी के लिए समग्र वार्षिक राष्ट्रीय विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों को बाध्य संस्था द्वारा पूरा करना होगा।

7.7 निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर पुन: उपयोग, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पैकेजिंग में पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग के दायित्वों की समीक्षा हर पांच साल में की जाएगी।

7.8 प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार टिकाऊ पैकेजिंग को बढ़ावा देगा (i) पुन: उपयोग को बढ़ावा देने वाली पैकेज डिजाइनिंग, (ii) पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त पैकेज डिजाइनिंग, (iii) प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक मात्रा और (iv) पर्यावरण के लिए पैकेज डिजाइनिंग।

7.9 यदि बाध्य संस्था ऐसी प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करती है जो परिवेशी वातावरण में 100% बायोडिग्रेडेबल है, और उसका स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई सूक्ष्म प्लास्टिक/रासायनिक अवशेष/कोई भी अन्य निशान नहीं रहता है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बीआईएस, सिपेट, जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित है। ऐसी सामग्री के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य लागू नहीं होगा।

8. अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाणपत्रों को बनाना, पिछले वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों और दायित्वों की तुलना में अग्रनेषित और ऑफसेट करना, और अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद करना

8.1 ऐसा पीआईबीओ जिसने अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों को श्रेणी-वार और राज्य-वार पूरा कर लिया है, निम्नलिखित के लिए अधिशेष का उपयोग कर सकता है:

(i) खंड 9.5 के अधीन पिछले वर्ष की कमी को पूरा करने के लिए,

(ii) आगामी वर्ष में उपयोग के लिए आगे ले जाएं

(iii) इसे अन्य पीआईबीओ को बेचने के लिए

8.2 एक श्रेणी में अधिशेष का उपयोग केवल उसी श्रेणी में ऑफ़-सेटिंग, अग्रनेषण और बिक्री के लिए किया जा सकता है। पुन: उपयोग के तहत अधिशेष का उपयोग पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और मियाद खत्म होने पर निपटान के लिए उपरोक्त के लिए किया जा सकता है। पुनर्चक्रण के तहत अधिशेष का उपयोग पुनर्चक्रण और मियाद खत्म होने पर निपटान के लिए किया जा सकता है। मियाद खत्म होने वाले किसी अधिशेष का पुन: उपयोग या पुनर्चक्रण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

8.3 कोई पीआईबीओ उसी श्रेणी के अन्य पीआईबीओ से अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) प्रमाणपत्र खरीदकर एक श्रेणी के तहत अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्व को भी पूरा कर सकता है।

8.4 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढांचे के तहत वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय इस तरह के लेनदेन को पीआईबीओ द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज और जमा किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीकृत पोर्टल पर इस तरह के आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

9. उल्लंघन पर कार्रवाई और पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई की जाने वाली गतिविधियां

9.1ए निम्नलिखित गतिविधियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा। इसमें या तो खुद से बचने/उल्लंघन करने या किसी भी बाध्यकारी इकाई को अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्व से बचने/उल्लंघन करने में मदद करने के लिए दंडित किया जाएगा, ऐसा दंड सुनवाई का अवसर देने के बाद ही दिया जाएगा:

I. पीडब्लूएम, 2016 के तहत पंजीकरण के बिना गतिविधियों को अंजाम देने वाली संस्थाएं

II. झूठी जानकारी प्रदान करना/भौतिक तथ्यों को जानबूझकर छुपाना

III. जाली/छेड़छाड़ वाले दस्तावेज जमा करना

9.1b सभी मामलों में, पर्यावरण मुआवजा भी प्रदूषक द्वारा भुगतान किए गए मूल भुगतान के आधार पर लगाया जाएगा।

पर्यावरण मुआवजे के लिए दिशानिर्देश

9.2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशानिर्देशों के तहत इन विनियमों में निर्धारित दायित्वों को पूरा न करने और शर्तों के उल्लंघन या झूठी सूचना / प्रमाण पत्र के तहत अनिवार्य रूप से पीआईबीओ, पुनर्चक्रणकर्ताओं और मियाद समाप्ति निपटान करने वाले प्रसंस्करणकर्ता पर पर्यावरण मुआवजे के अधिरोपण और संग्रहण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा।

पर्यावरण मुआवजे का उदग्रहण

9.3 इन दिशानिर्देशों में निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में दो से अधिक राज्यों में संचालित पीआईबीओ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा।

9.4 पर्यावरण मुआवजा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे पीआईबीओ (दो से अधिक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में काम नहीं कर रहे पीआईबीओ के लिए), प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता - अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं पर उस स्थिति में लगाया जाएगा, जब वे इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किए गए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों/जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं। यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति उचित समय पर कार्रवाई नहीं करती है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश जारी करेगा।

पर्यावरण मुआवजा - संग्रहण और उपयोग

9.5 पर्यावरणीय मुआवजे के भुगतान से पीआईबीओ इन दिशानिर्देशों में निर्धारित दायित्व से मुक्त नहीं होगा। किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्व अगले वर्ष के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्व की कमी को बाद के वर्षों के भीतर तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाता है। लगाया गया पर्यावरणीय मुआवजा पीआईबीओ को निम्नानुसार वापस कर दिया जाएगा:

• ईसी लगाने के एक साल के भीतर : 75% रिटर्न

• दो साल के भीतर 60% रिटर्न

• तीन साल के भीतर 40% रिटर्न

ईसी के देय होने पर 3 साल पूरे होने के बाद ईसी की पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी। यह व्यवस्था बाद के वर्षों में भी पीआईबीओ द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण की अनुमति देगी।

9.6 पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत एकत्र की गई धनराशि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई धनराशि का उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के असंग्रहीत और गैर-पुनर्चक्रित / मियाद समाप्ति निपटान के संग्रहण और पुनर्चक्रण / मियाद समाप्ति में उपयोग किया जाएगा, जिस पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वार्षिक आधार पर निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की सिफारिश विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी और इसे मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाएगा।

9.7 इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित दायित्वों की पूर्ति न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10. पीआईबीओ की भूमिका

पंजीकरण और कार्य योजना

10.1 पीआईबीओ को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण का प्रमाण पत्र पोर्टल का उपयोग करके जारी किया जाएगा।

10.2 पीआईबीओ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के तहत पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य, श्रेणी-वार और राज्य-वार, जहां लागू हो, पर जानकारी युक्त कार्य योजना प्रदान करेगा। यह योजना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण की अवधि को कवर करेगी। पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और कार्य योजना प्रो-फॉर्मा इन दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा।

पीआईबीओ के बीच प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का लेनदेन

10.3 खंड 4 (iii) के अंतर्गत आने वाला BO किसी P और/या I से खरीदी गई प्लास्टिक पैकेजिंग का विवरण खंड 4 (i) और 4 (ii) के तहत अलग से प्रदान करेगा। BO पर लागू होने वाला खंड 4 (i) और 4 (ii) के तहत कवर किए गए प्रत्येक P और I के लिए मात्रा को P और I के दायित्व से घटाया जाएगा। BO को खरीदी गई श्रेणी-वार मात्रा सहित ऐसी खरीद का रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा।

10.4 खंड 4 (i) और 4 (ii) के अंतर्गत आने वाले P और I खंड 4 (iii) के अंतर्गत आने वाले BO को उपलब्ध कराई गई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड रखना होगा। श्रेणीवार बेची गई मात्रा सहित ऐसी बिक्री का रिकॉर्ड P और I द्वारा अलग-अलग रखा जाएगा। यदि ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए जाते हैं, तो उन्हें पूरा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्व पूरा करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीआईबीओ के बीच लेनदेन की घोषणा को क्रॉस-चेक करेगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण

10.5 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्वों को सीधे पूरा करने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक अलग अपशिष्ट धारा विकसित करने के लिए, पीआईबीओ जमा वापसी प्रणाली या पुन: खरीद (Buy back) या कोई अन्य मॉडल जैसी योजना संचालित कर सकता है। यह कदम प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट के साथ मिलाने से रोकेगा।

वार्षिक विवरणी

10.6 पीआईबीओ अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए एकत्र और प्रसंस्कृत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पर वार्षिक विवरणी दाखिल करेगा। पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले पुन: उपयोग और/या पुनर्चक्रित सामग्री के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। उन पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं का विवरण भी दिया जाएगा जिनसे पुनर्चक्रित प्लास्टिक की खरीद की गई है।

11. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका (पुनर्चक्रणकर्ता या अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता)

पंजीकरण

11.1 सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के प्रावधान 13(3) के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ पंजीकरण कराना होगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन के तीन महीने के भीतर पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

वार्षिक विवरणी

11.2 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा की श्रेणी-वार और राज्य-वार वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

11.3 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्कृत और पीआईबीओ की प्लास्टिक अपशिष्ट की कुल मात्रा, वार्षिक आधार पर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

11.4 यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी झूठी है, तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढांचे के तहत संचालन से पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।। उन पर इन दिशानिर्देशों के खंड 9 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इसमें पंजीकरण का निरसन और पर्यावरण मुआवजे का भुगतान या दोनों शामिल हो सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र का प्रावधान

11.7 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के तहत पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता, सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग के मामले को छोड़कर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। ऐसे मामले में जहां सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है, पीआईबीओ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित प्रोफॉर्मा में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। पीआईबीओ द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्वों को पूरा करने के लिए केवल पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र मान्य होगा।

11.8 प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किया जाएगा। किसी भी मामले में, उद्यम द्वारा पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा उद्यम की स्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी। प्रमाण पत्र प्लास्टिक पैकेजिंग श्रेणी-वार होंगे और इसमें उद्यम का जीएसटी डेटा शामिल होगा।

11.9 पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए प्रमाण पत्र पंजीकृत पीआईबीओ या स्थानीय अधिकारियों के नाम पर, जैसा लागू हो, सहमत तौर-तरीकों के आधार पर होना चाहिए। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस तरह के प्रमाण पत्र को केंद्रीकृत पोर्टल पर जारी करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

मियाद समाप्ति निपटान

11.10 प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मियाद समाप्ति पर निपटान - अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से तेल, सीमेंट भट्टे (सह प्रसंस्करण) का कार्य करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रंस्सकरणकर्ता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर वार्षिक आधार पर निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे। ये संस्थाएं पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ तरीके से नियामक निकायों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों, प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करेंगी।

12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका

पंजीकरण

12.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दो से अधिक राज्यों में काम कर रहे पीआईबीओ और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को पंजीकृत करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के तहत पीआईबीओ के पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

12.2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए शुल्क और विवरणी के प्रसंस्करण के लिए वार्षिक शुल्क ले सकता है। ऐसे मामले में, जहां पीआईबीओ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस प्रकार तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ आवेदन शुल्क साझा कर सकता है।

12.3 पंजीकरण पीआईबीओ द्वारा ऑनलाइन एक पूर्ण आवेदन जमा करने के दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। पंजीकरण की अवधि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के अनुसार होगी।

सत्यापन और लेखा परीक्षा

12.4 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं या किसी नामित एजेंसी, जैसा भी उचित समझा जाएगा, के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से पीआईबीओ के अनुपालन का सत्यापन करेगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवश्यकतानुसार, निरीक्षण और आवधिक लेखापरीक्षा के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसर के अनुपालन का सत्यापन भी कर सकता है। उल्लंघनों के खिलाफ और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्वों के पूरा न होने के लिए कार्रवाई खंड 9 के अनुसार होगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले पीआईबीओ के मामले में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि आवश्यक हो, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट

12.5 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उन पीआईबीओ की सूची प्रकाशित करेगा जो वार्षिक आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्य और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

हितधारकों के साथ संवाद

12.6 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीडब्लूएमआर, 2016 के तहत प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में शामिल प्रासंगिक हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

अपशिष्ट की संघटनात्मक विशेषता

12.7 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए एकत्रित मिश्रित नगरपालिका अपशिष्ट का एक संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगा। पहला सर्वेक्षण 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा।

प्रौद्योगिकियों की समीक्षा

12.8 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विशेष रूप से खंड 7.12 के संबंध में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करेगा।

13. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति की भूमिका

पंजीकरण, सत्यापन और लेखा परीक्षा

13.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीआईबीओ (एक या दो राज्यों में कार्यरत) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को पंजीकृत करेगा। पंजीकरण का प्रावधान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पोर्टल पर किया जाएगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति स्वयं या नामित एजेंसी के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली, 2016 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में पीआईबीओ के साथ-साथ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से पीआईबीओ के अनुपालन को सत्यापित करता है। उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) लक्ष्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों की पूर्ति न होने पर कार्रवाई खंड 9 के अनुसार होगी।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट

13.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति उन संस्थाओं (अपवाद रिपोर्ट) की सूची प्रस्तुत करेगा जिन्होंने वार्षिक आधार पर अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति अपने अधिकार क्षेत्र में पीआईबीओ और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और उसे ऑनलाइन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पोर्टल पर अपलोड करेगा।

हितधारकों के साथ संवाद

13.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति पीडब्लूएमआर, 2016 के तहत प्लास्टिक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने में शामिल संबंधित हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

अपशिष्ट की संघटनात्मक विशेषता

13.4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति अर्ध-वार्षिक आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री की विभिन्न श्रेणियों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए एकत्र किए गए मिश्रित नगरपालिका अपशिष्ट का एक संघटनात्मक सर्वेक्षण करेगा। पहला सर्वेक्षण 31 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा।

14. पीआईबीओ द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली

14.1 पीआईबीओ अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्वों को पूरा करते हुए प्लास्टिक की श्रेणी के आधार पर आवश्यकतानुसार प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण के बुनियादी ढांचे का विकास कर सकता है। इसमें पीआईबीओ द्वारा अपनाए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के आधार पर निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(क) अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण केन्द्रों और सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित करना;

(ख) संग्रहण केन्द्रों से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करना, इसमें ऐसी आवृत्ति होनी चाहिए जो कवर किए गए क्षेत्र और मात्रा के अनुपात में है;

(ग) यूएलबी, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रहण की पेशकश करना, और उन सभी संस्थाओं से संग्रहण के लिए व्यवस्था प्रदान करना जिन्होंने उस प्रस्ताव का उपयोग किया है; संग्रहण और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केंद्रों से एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को बाद में किसी पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा एक पंजीकृत सुविधा में पुनर्चक्रण के अधीन किया जाता है या सम्मानजनक तरीके से इसके अंतिम उपयोग की अनुमति दी जाती है।

14.2 पीआईबीओ यह सुनिश्चित करें कि संग्रहण केन्द्रों का नेटवर्क जनसंख्या के आकार, प्लास्टिक/पैकेजिंग अपशिष्ट की अपेक्षित मात्रा, पहुंच और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए आसपास के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा जहां संग्रहण और बाद का प्रबंधन लाभदायक है।

14.3 अपशिष्ट संग्रहण में शामिल संस्थाएं अपशिष्ट को उपचार और पुनर्चक्रण या पहचान किए गए अंतिम उपयोग हेतु सौंप देंगी।

14.4 स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्रों की भागीदारी - स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्र प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को उनके उपचार और पुनर्चक्रण या उनके पहचाने गए अंतिम उपयोग की दृष्टि से पीआईबीओ या उनकी ओर से कार्य करने वाली तृतीय पक्ष एजेंसियों को सौंप देंगे।

<u>15. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्वों की पूर्ति</u>

पीआईबीओ को ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक विवरणी दाखिल करते समय अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक मियाद समाप्ति के लिए भेजी गई मात्रा के विवरण के साथ केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से प्राप्त पुनर्चक्रण प्रमाण पत्र का विवरण प्रदान करना होगा। पीआईबीओ और पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरण की ऑनलाइन पोर्टल द्वारा जांच की जाएगी। अंतर के मामले में, पीआईबीओ के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दायित्व को पूरा करने के लिए निचले/कम आंकड़े पर विचार किया जाएगा। ऐसे प्रमाणपत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे।

16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल

16.1 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकरण के लिए और साथ ही इस तरह की एक प्रणाली द्वारा PIBOs (वार्षिक), प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा विवरणी दाखिल करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली तंत्र 31 मार्च 2022 तक स्थापित करेगा। यह प्रणाली एक ऐसा तंत्र सुनिश्चित करेगी जिसमें कि किसी वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादक और पीआईबीओ द्वारा बाजार में पेश किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्री संतुलन परिलक्षित होता है। यह पीआईबीओ और प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रणकर्ताओं/ अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की लेखा परीक्षा के बारे में विवरण भी दिखलाएगा।

16.2 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति भी पीआईबीओ के पंजीकरण के साथ-साथ पुनर्चक्रणकर्ताओं/ अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक ही वेब पोर्टल का उपयोग करेंगी। यह वेब पोर्टल पीडब्लूएमआर, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। पीआईबीओ, यदि वे चाहें, तो ऑनलाइन वेब पोर्टल/प्लेटफॉर्म के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

16.3 ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित होने तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों को ऑफलाइन तरीके से संचालित किया जाएगा।

17. निगरानी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीआईबीओ (जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उत्पादक शामिल हैं) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के संबंध

में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। यह रिपोर्ट पीडब्लूएमआर, 2016 के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति को भी प्रस्तुत की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्चक्रण/मियाद समाप्ति के निपटान के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

18. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियमावली के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के लिए समिति

18.1 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) दिशानिर्देशों में संशोधन सहित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय को उपायों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।

यह समिति विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी। इस समिति को ऑनलाइन पोर्टल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सौंपा जाएगा, जिसमें अपेक्षित प्रपत्रों/प्रोफॉर्मों की स्वीकृति देना भी शामिल है।

18.2 इस समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, डीडीडब्ल्यूएस, डीसीपीसी; केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां, सीपेट, नीरी जैसे विभिन्न संगठन और पीआईबीओ जैसे हितधारक, और समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किए गए कोई भी अन्य आमंत्रित व्यक्ति शामिल होंगे।

[फा. सं. 17-2-2001 (भाग)-भाग I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

खंड 7 के उदाहरण

ईपीआर लक्ष्य और प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर

[खंड 7.2 (ए), (बी) और (सी), खंड 7.3 (ए), (बी) और (सी), और खंड 7.4 (ए), (बी) और (सी) देखें]

उदाहरण 1:

वर्ष 2022-23	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 एमटी
ईपीआर लक्ष्य @ 70% (तालिका 1 देखें)	70 एमटी
ईपीआर के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर @ कोई सीमा निर्धारित नहीं है (तालिका 2 देखें)	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के तहत एकत्र की गई और पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, ईपीआर के तहत एकत्र की गई प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट की मात्रा और ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए उपयोग की गई मात्रा

उदाहरण 2:

वर्ष 2023-24	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 एमटी
ईपीआर लक्ष्य @ 100% (तालिका 1 देखें)	100 एमटी
ईपीआर के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर @ 30 प्रतिशत (तालिका 2 देखें)	ईपीआर के तहत एकत्र किए गए कम से कम 30 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है। एकत्र किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 70 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण 3:

वर्ष 2028-29	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 एमटी
ईपीआर लक्ष्य @ 100% (तालिका 1 देखें)	100 एमटी
ईपीआर के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर @ 60 प्रतिशत (तालिका 2 देखें)	ईपीआर के तहत एकत्र किए गए कम से कम 60 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है। एकत्र किए गए शेष प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट (अधिकतम 40 मीट्रिक टन) का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

पुन: उपयोग

[खंड 7.4 (बी) देखें]

उदाहरण 4:

वर्ष 2023 - 24 (पुन: उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व लागू होता है)	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग को (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 एमटी
श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग की मात्रा 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम	15 एमटी (पुन: उपयोग @ 15%; पुन: उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व 10%)
पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (ए)	85 एमटी
(ए) के 100% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य (तालिका 1 देखें)	85 एमटी

50% की दर से EPR के तहत एकत्रित श्रेणी I प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का न्यूनतम स्तर (तालिका 2 देखें)	ईपीआर के तहत एकत्र किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के न्यूनतम 42.5 मीट्रिक टन को पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता है। एकत्र किए गए अधिकतम 42.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा रिकवरी, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण, अपशिष्ट से तेल आदि के लिए किया जा सकता है।

उदाहरण 5:

2021 - 22 के लिए	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग को (श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 एमटी
श्रेणी I सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग की मात्रा या 0.9 लीटर या किलोग्राम के वजन के बराबर या अधिक लेकिन 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम	10 एमटी
पेश की गई नई प्लास्टिक पैकेजिंग (ए)	90 एमटी
(ए) के 35% अनुपालन के लिए ईपीआर लक्ष्य (तालिका 1 देखें)	31.5 एमटी

<u>पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग</u>

<u>[खंड 7.2 (डी), 7.3 (डी) देखें]</u>

<u>उदाहरण 6:</u>

वर्ष 2023-24	
बाजार में पेश की गई श्रेणी-वार प्लास्टिक पैकेजिंग को (श्रेणी II लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग)	100 एमटी
खण्ड 5.1 के अनुसार ईपीआर लक्ष्य @ 100% (तालिका 1 देखें)	100 एमटी
पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक की न्यूनतम मात्रा @ 20%	पैकेजिंग में 20 मीट्रिक टन प्लास्टिक सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक होना चाहिए। पैकेजिंग में 80 मीट्रिक टन वर्जिन प्लास्टिक सामग्री

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2021

G.S.R. 722(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for bringing out regulations for Extended Producer Responsibility under Rule 9 (1) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: satyendra.kumar07@nic.in, amit.love@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, a committee was constituted to evaluate mechanism for the implementation of the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016 especially with respect to Extended Producer Responsibility (EPR) in 2017;

And whereas, the committee included the representatives of Urban Local Bodies of different States and various stakeholders made detailed presentations before committee on the major issues faced by them in the Rules;

And whereas, the Ministry consulted with stakeholders on model for a National framework for EPR during the Regional Workshop conducted by the Ministry and CII on 12 and 13 November 2018 at Bengaluru and on 19 and 20 December 2018 at Ranchi and on 20 and 21 January 2019 in Chandigarh and separately in a meeting held on 09 March, 2019; And whereas, using the outcomes of a series of stakeholder meetings and the inputs of the expert committee on the subject, a draft Guidelines Document for Uniform Framework for Extended Producers Responsibility was developed by the Ministry. This was approved by the Competent Authority on May 18, 2020 and uploaded on the website of the Ministry on 23 June 2020 seeking comments and inputs from the public till 31 July 2020;

And whereas, the Ministry received around 160 comments from various stakeholders and organizations on the Guidelines Document for Uniform Framework for Extended Producers Responsibility. The comments had been inter-alia received from Central Pollution Control Board, Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, Kerala Pollution Control Board, organizations working in the area of waste management, industry, industry associations, civil society organizations and citizens;

And whereas, in response to the draft guidelines extensive engagement happened between the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India with industry and industry associations and representations from stakeholders had also been received;

And whereas, the comments obtained in response to draft guidelines and also comments provided by the concerned stakeholders separately, have been considered by the Government while framing the draft regulations on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging under Plastic Waste Management Rules, 2016;

Now therefore, in exercise of powers conferred under sub rule (4) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby notifies the Regulations on the Extended Producer Responsibility under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time, as per schedule below:

SCHEDULE

Regulations on Extended Producer Responsibility for Plastic Packaging

1.Background

1.1 The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), hereinafter referred to as 'The Ministry', notified Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016 on 18 March 2016. The Ministry also notified the Solid Waste Management Rules, 2016 on 8 April 2016. As plastic waste is part of solid waste, therefore, both the rules apply to managing plastic waste in the country.

1.2 The Plastic Waste Management Rules, 2016, mandate the generators of plastic waste to take steps to minimize generation of plastic waste, not to litter the plastic waste, ensure segregated storage of waste at source and hand over segregated waste to local bodies or agencies authorised by the local bodies. The rules also mandate the responsibilities of local bodies, gram panchayats, waste generators, retailers and street vendors to manage plastic waste.

1.3 The rules cast Extended Producer Responsibility (EPR) on Producer, Importer, Brand Owner for collection and recycling of plastic packaging waste. EPR shall be applicable to both pre-consumer and post-consumer plastic packaging waste.

1.4 The regulation provides framework for implementation of Extended Producer Responsibility. The regulation set out the roles and responsibilities of Producers, Importers, Brand Owners, CPCB/SPCBs/PCCs, recyclers and waste processors for effective implementation of EPR. The definitions given in Plastic Waste Management Rules, 2016, apply until, specifically mentioned in these regulations.

2. Date of Coming into Effect

2.1 These regulations shall come into force **with immediate effect**. The on-going processes related to EPR obligations will be aligned with these guidelines.

3. Definitions

"**Brand Owner**" means a person or company who sells any commodity under a registered brand label/ trademark;

"**Carry Bags**" (covered under Category II of plastic packaging – Clause 5.1 (II)) means bags made from plastic material or compostable plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self-carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use ;

"**End of Life disposal**" means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns) or waste to oil or for road construction as per Indian Road Congress guidelines, etc.

"**Extended Producer's Responsibility (EPR)**" means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;

"**Importer**" means a person who imports plastic packaging product or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;

"**Plastic**" means material which contains as an essential ingredient a high polymer such as polyethylene terephthalate, high density polyethylene, Vinyl, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene resins, multi-materials like acrylonitrile butadiene styrene, polyphenylene oxide, polycarbonate, polybutylene terephthalate;

"**Plastic Sheet**" means plastic sheet is the sheet made of plastic;

"**Plastic Waste Processors**" means recyclers and entities engaged in using plastic for energy (waste to energy) and converting it to oil (waste to oil).

"**Producer**" means person engaged in manufacture or import of carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like, and includes industries or individuals using plastic sheets or like or covers made of plastic sheets or multilayered packaging for packaging or wrapping the commodity;

"**Recyclers**" are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;

"**Recycling**" means the process of transforming segregated plastic waste into a new product or raw material for producing new products;

“Reuse” means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object's structure

“Use of recycled plastic” means recycled plastic, instead of virgin plastic, is used as raw material in the manufacturing process

“**Waste Management**” means the collection, storage, transportation reduction, re-use, recovery, recycling, composting or disposal of plastic waste in an environmentally safe manner;

“**Waste to Energy**” means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns).

4. Obligated Entities

The following entities will be covered under the EPR obligations and provisions of this notification:

(i) Producer (P) of plastic packaging

(ii) Importer (I) of all imported plastic packaging and / or plastic packaging of imported products

(iii) Brand Owners (BO) including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.

(iv) Plastic Waste Processors

5. Coverage of EPR

5.1 The following plastic packaging categories are covered under EPR:

(i) **Category I**

Rigid plastic packaging

(ii) **Category II**

Flexible plastic packaging of single layer or multilayer (more than one layer with different types of plastic), plastic sheets or like and covers made of plastic sheet, carry bags (including carry bags made of compostable plastics), plastic sachet or pouches and

(iii) **Category III**

Multilayered plastic packaging (at least one layer of plastic and at least one layer of material other than plastic)

5.2 The EPR regulation covers the following with respect to plastic packaging:

I. Reuse

II. Recycling

III. Use of recycled plastic content

IV. End of life disposal

6. Registration

6.1 The following entities shall register on the centralized portal developed by CPCB:

I. Producer (P)

II. Importer (I)

III. Brand owner (BO)

IV. Plastic Waste Processor engaged in (a) recycling, (b) waste to energy, (c) waste to oil

Registration of PIBOs (operating in one or two states) and Plastic Waste processors as per Rule 13(2) and 13 (3) of PWM Rules shall be done by SPCB/PCC through the centralized EPR portal developed by CPCB.

6.2 The entities covered under clause 6.1 shall not carry out any business without registration obtained through on-line centralized portal developed by CPCB.

6.3 The entities covered under clause 6.1 shall not deal with any entity not registered obtained through on-line centralized portal developed by CPCB.

6.4 In case, it is found or determined that any registered entity has provided false information or has wilfully concealed information or there is any irregularity, then the registration of such an entity would be revoked for a five-year period and /or penalty may also be imposed, after giving an opportunity to be heard. The entities whose registration has been revoked shall not be able to register afresh for the period of revocation.

6.5. In case any entity falls in more than one sub-category mentioned in the clause 6.1, then the entity shall register under each of those sub-categories separately. Further, in cases, where the entity has units in different States, in a particular sub-category mentioned in clause 6.1, then these units shall also be registered separately. However, only one registration under a subcategory in a State would be needed, even if, more than one units are located in a State. The registration shall be as per SOP prescribed by CPCB for the purpose as per these guidelines.

6.6 While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number and Aadhar and PAN Number of all directors/authorized persons and any other necessary information in the proforma for registration prescribed by CPCB.

7. Targets for Extended Producer Responsibility and Obligations of PIBOs

7.1 The EPR Targets for the PIBOs shall be determined category-wise and State/UT wise

7.2 Producer (P)

a) EPR Target (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 1) shall be the average weight of plastic packaging material (category-wise and state wise) sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging waste in the last two financial year (B) minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial year.

Q 1 (in MT) = (A + B) - C

The EPR Target shall be determined, category-wise and state/UT wise, as given below

Table : EPR Target

	Year	EPR Target (as a percentage of Q1 - category-wise and state-wise)
I	2021-22	35 %
II	2022 – 23	70 %
III	2023 – 24 and onwards	100 %

The EPR target in MT category-wise and state-wise, as applicable, shall be provided by producer, as part of Action Plan on the centralized portal developed by CPCB.

b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure)

The producer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under EPR Target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste

(% of EPR Target)

Plastic packaging category	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 and onwards**
Category I	**50**	**60**	**70**	**80**
Category II	**30**	**40**	**50**	**60**
Category III	**30**	**40**	**50**	**60**

c) End of life disposal (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Only those plastics, which cannot be recycled such as multilayered multi-material plastics (at least one layer of plastic and at least one layer of other material), will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, cement kilns (for co processing) etc. as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress/CPCB from time to time.

The producers shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies prescribed in Rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended. Any violation shall attract provisions of Section 15 of Environment (Protection) Act, 1986, as amended.

d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

The producer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below.

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of plastic manufactured for the year)

Plastic packaging category	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	20	20	30	30
Category III	5	5	10	10

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by CPCB on a case-to-case basis. However, in such cases, the PIBO will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such PIBOs who have used recycled content in excess of their obligation. CPCB will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

7.3 Importer (I)

a) EPR Target (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 2) shall be the average weight of all plastic packaging material and / or plastic packaging of imported products (category-wise and state-wise) imported and sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer plastic packaging in the last two financial year (B) waste minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial years.

Q 2 (in MT) = (A + B) - C

The EPR Target shall be determined, category-wise and state/UT wise, as given below

	Year	EPR Target(as a percentage of Q 2 - category-wise and state-wise)
I	2021-22	35 %
II	2022 – 23	70 %
III	2023 – 24 and onwards	100 %

The EPR target in MT category-wise and state-wise, as applicable, shall be provided by Importer as part of Action Plan on the centralized portal developed by CPCB.

b) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure)

The Importer shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under EPR Target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste

(% of EPR Target)

Plastic packaging category	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60

c) End of life disposal (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Only those plastics, which cannot be recycled such as multilayered multi-material plastics (at least one layer of plastic and at least one layer of other material), will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oilas per relevant guidelines issued by Indian Road Congress/CPCB from time to time.

The importer shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies prescribed in Rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended. Any violation shall attract provisions of Section 15 of Environment (Protection) Act, 1986, as amended.

d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

The Importer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as given below.

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of imported plastic for the year)

Plastic packaging category	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	20	20	30	30
Category III	5	5	10	10

Any recycled plastic used in imported material shall not be counted towards fulfilment of obligation. The importer will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such PIBOs who have used recycled content in excess of their obligation. CPCB will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

7.4 Brand Owner (BO)

a) EPR Target (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Eligible Quantity in MT (Q 3) shall be the average weight of fresh plastic packaging material (category-wise and state-wise) purchased and introduced in market in the last two financial years (A) plus average quantity of (B) of pre-consumer plastic packaging in the last two financial years.

Q 3 (in MT) = A + B

The EPR Target shall be determined, category-wise and state/UT wise as given below

	Year	EPR Target (as a percentage of Q 3 - category-wise and state-wise)
I	2021-22	35 %
II	2022 – 23	70 %
III	2023 – 24 and onwards	100 %

The EPR target in MT category-wise and State-wise, as applicable, shall be provided by BO as part of the Action Plan on the centralized portal developed by CPCB.

b) Obligation for reuse (Refer example 4 and 5 in Annexure)

I. The BO using Category I (rigid) plastic packaging for their products shall have minimum obligation to reuse such packaging as given below.

Minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging).

	Year	Target (as percentage of Category I rigid plastic packaging in product sold annually)
A	Category I rigid plastic packaging of product with volume or weight equal or more than 0.9 litre or kg but less than 4.9 litres or kg, as the case may be	
I	2023 – 24	10
II	2024 – 25	15
III	2025 – 26	20
IV	2026 – 27 and onwards	25
B	Category I rigid plastic packaging of product with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg.	
I	2023 – 24	70
II	2024 – 25	75
III	2025 – 26	80
IV	2026 – 27 and onwards	85

The quantity of rigid packaging reused by BO shall be calculated by reducing fresh plastic packaging manufactured/imported/purchased in that year from the sales of the BO. The BO shall provide this information on the centralized portal developed by CPCB.

II. The quantity of Category I rigid plastic packaging reused shall be reduced from the total plastic packaging used under Category I by the obligated entities (BOs).

III. The quantity of Category I rigid plastic packaging reused during the years 2021-22 and 2022 – 23 shall get reduced from the total plastic packaging used under Category I.

c) Obligation for recycling (Refer example 1 to 3 in Annexure)

The BO shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste collected under EPR Target, category-wise, as given below.

Minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of plastic packaging waste

(% of EPR Target)

Plastic packaging category	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 and onwards
Category I	50	60	70	80
Category II	30	40	50	60
Category III	30	40	50	60

d) End of life disposal (Refer example 1 to 3 in Annexure)

Only those plastics, which cannot be recycled such as multilayered multi-material plastics (at least one layer of plastic and at least one layer of other material), will be sent for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil, as per relevant guidelines issued by Indian Road Congress/CPCB from time to time.

The BO shall ensure end of life disposal of the plastic packaging waste only through methodologies prescribed in Rule 5 (1) (b) of Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended. Any violation shall attract provisions of Section 15 of Environment (Protection) Act, 1986, as amended.

e) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

The BO shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging, category-wise, as given below.

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of manufactured plastic for the year)

Plastic packaging category	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 and onwards
Category I	30	40	50	60
Category II	20	20	30	30
Category III	5	5	10	10

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled plastic content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by CPCB on case-to-case basis. However, in such cases, the PIBO will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such PIBOs who have used recycled content in excess of their obligation. CPCB will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

In case, where BO is also P and/or I of plastic packaging material, the clause 7.2 and 7.3 shall also apply for determining their EPR targets and obligations as P and /or I, respectively.

7.5 The EPR target in MT category-wise and State-wise, as applicable, shall be provided by all the PIBOs as part of Action Plan on the centralized portal developed by CPCB.

7.6 The PIBO shall be allowed a deviation of 25% over the State/UT specific EPR targets during the period from 2021-22 to 2023-24. However, the overall annual national EPR targets for each category will have to be met by obligated entity.

7.7 The obligations for reuse, recycling of waste and use of recycled plastic content in packaging shall be reviewed every five years based upon available technologies for meeting the targets specified.

7.8 EPR on plastic packaging will promote sustainable packaging, as per guidelines prepared by CPCB, inter alia based on the following criteria (i) package designing promoting reuse, (ii) package designing amenable for recycling, (iii) recycled plastic content in plastic packaging material and (iv) package designing for environment.

7.9 In case, the obligated entity utilizes plastic packaging which is 100% biodegradable in the ambient environment leaving no traces of micro plastics/chemical residue/any other traces having adverse environmental and health impacts as certified by regulatory entities CPCB, BIS, CIPET, the EPR target will not be applicable for such material.

8. Generation of surplus EPR Certificates, carry forward and offsetting against previous year EPR targets and obligations, and sale and purchase of surplus EPR certificates

8.1 A PIBO who has fulfilled their EPR targets, category-wise and state-wise, can use the surplus for the following:

(i) Off setting previous year shortfall subject to clause 9.5,

(ii) Carry forward for use in succeeding year

(iii) Sell it to other PIBOs

8.2 Surplus in one category can only be used for off-setting, carry forward and sale in the same category. A surplus under reuse can be used for the above against reuse, recycling and also end of life disposal. A surplus under recycling can be used for recycling and end of life disposal. A surplus under end of life disposal cannot be used for reuse or recycle.

8.3 A PIBO can also meet its EPR obligation under a category by purchasing surplus EPR certificates from other PIBOs of the same category.

8.4 Such transactions shall be recorded and submitted by the PIBO on the online portal while filing annual returns under the EPR framework. CPCB will develop mechanism for such exchange on the centralized portal.

9. Action on Violations and Imposition of Environmental Compensation

Activities to be dealt under Section 15 of Environment (Protection) Act, 1986

9.1a The following activities shall be dealt with under the provisions of Section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986, with a view to evade /violate either himself or help abate any obligated entity evade/ violate its EPR obligation, after giving an opportunity of being heard:

I. Entities carrying out activities without registration under PWM Rules, 2016

II. Providing false information / wilful concealment of material facts

III. Submission of forged/manipulated documents

9.1b In all cases, Environmental Compensation shall also be levied based upon polluter pays principle.

Guidelines for Environmental Compensation

9.2 CPCB shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on PIBOs, recyclers and end of life processors, in case of non-fulfilment of obligations set out in these regulations and also for violations of conditions or false information / certificates as mandated under these guidelines.

Levy of Environmental Compensation

9.3 The Environment Compensation shall be levied by Central Pollution Control Board on the PIBOs operating in more than two states with respect to non-fulfilment of their EPR targets, responsibilities and obligations set out in these guidelines.

9.4 The Environment Compensation shall be levied by respective State Pollution Control Board on the PIBOs operating in their jurisdiction(for PIBOs not operating in more than two states/UTs), Plastic waste processors which includes recyclers and other waste processors – waste to energy, waste to oil, co-processors, with respect to non-fulfillment of their EPR targets/ responsibilities and obligations set out under these guidelines. In case, the State Pollution Control Board/PCC does not take action in reasonable time the CPCB shall issue directions to the SPCB/PCC.

Environmental Compensation – Collection and Use

9.5 Payment of environmental compensation shall not absolve the PIBO of the obligation set out in these guidelines. The unfulfilled EPR obligation for a particular year will be carried forward to the next year for a period of of three years. In case, the shortfall of EPR obligation is addressed within subsequent years within three years. The environmental compensation levied shall be returned to the PIBO as given below

- Within one year of levying of EC : 75% return
- Within two years 60% return
- Within three years 40% return

After completion of 3 years on EC getting due the entire EC amount shall be forfeited. This arrangement shall allow for collection and recycling of plastic packaging waste by PIBOs in later years as well.

9.6 The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by CPCB/SPCB/PCC. The funds collected shall be utilized in collection and recycling/end of life disposal of uncollected and non-recycled/ non- end of life disposal of plastic packaging waste on which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for plastic waste management on an annual basis would be recommended by the Committee for EPR implementation and approved by the Competent Authority in MoEFCC.

9.7 Non-fulfilment of obligations set out under these guidelines will attract actions under the provisions of Section 15 of EP Act, 1986.

10. Role of PIBOs

Registration and Action Plan

10.1 The PIBOs shall have to register through the online centralized portal developed by CPCB. The certificate of registration shall be issued using the portal.

10.2 PIBOs shall provide Action Plan containing information on the EPR Target, category-wise and state-wise, where applicable, through the online centralized portal developed by CPCB, along with application for registration/renewal of registration under PWM Rules, 2016. The Action Plan shall cover tenure of the Registration as per the provisions of PWM Rules, 2016. The standard operating procedure for Registration and the Action Plan pro forma shall be developed by CPCB as per these guidelines.

Transactions of Plastic Packaging material between PIBO

10.3 BO covered under Clauses 4 (iii) shall provide details of plastic packaging purchased from P and/or I covered under Clause 4 (i) and 4 (ii) separately. The quantities attributed to each P and I covered under Clause 4 (i) and 4 (ii) obligated upon BO shall be deducted from the obligation of P and I. The record of such purchase including category-wise quantity purchased, shall be maintained separately by BO.

10.4 The P and I covered under Clauses 4 (i) and 4 (ii) will maintain the record of the quantity of plastic packaging material made available to BO covered under Clause 4 (iii). The record of such sale including category-wise quantity sold, will be maintained separately by P and I. In case such records are not maintained, they will have to fulfil the complete EPR obligation. The online platform shall cross-check the declaration of transactions among PIBOs.

Collection of Plastic Waste

10.5 In order to develop a separate waste stream for collection of plastic packaging waste for directly fulfilling EPR obligations, the PIBO may operate scheme such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of plastic packaging waste with solid waste.

Annual Returns

10.6 The PIBO shall file annual returns on the plastic packaging waste collected and processed towards fulfilling obligations under EPR with the concerned CPCB/SPCB/PCC as per pro forma prescribed by CPCB by the 30 April of the next financial year. Information on the reuse and/or recycled content used for packaging purposes will also be provided. The details of the registered recyclers from whom the recycled plastic has been procured will also be provided.

11. Role of Plastic Waste Processors (Recyclers or Other Waste Processors)

Registration

11.1 All plastic waste processors shall have to register with concerned SPCB/PCC in accordance with provision 13(3) of PWM Rules,2016, on the centralized portal developed by CPCB. CPCB shall lay down uniform procedure for registration within three months of the publication of these guidelines.

Annual Returns

11.2 The Plastic waste processors shall submit annual returns after end of every financial year by 30 April of the next financial year on the quantity of plastic waste processed category-wise and state-wise as per prescribed pro forma on the centralized portal developed by CPCB.

11.3 The total quantity of plastic waste processed by plastic waste processors and attributed to PIBOs, on an annual basis, will be made available on the centralized portal developed by CPCB as also on the website of Plastic waste processors.

11.4 In case, at any stage it is found that the information provided by the plastic waste processor is false, the plastic waste processor shall be debarred by SPCB, as per procedure laid down by CPCB, from operating under the EPR framework for a period of five years. Action shall be taken as per clause 9 of these guidelines and may include revocation of registration and payment of environment compensation or both and prosecution shall be taken up under Environment Protection Act, 1986.

Provision of Certificate for Plastic Waste Processing

11.7 Only plastic waste processors registered under PWM Rules, 2016, as amended**,** shall provide certificate for plastic waste processing, except in case of use of plastic waste in road construction. In case

where plastic waste is used in road construction the PIBO shall provide a self declaration certificate in pro forma developed by CPCB. The certificate provided by only registered plastic waste processors shall be considered for fulfilment of EPR obligations by PIBOs.

11.8 The pro forma for the certificate shall be developed by CPCB. In no case, the amount of plastic packaging waste recycled by the enterprise shall be more than installed capacity of the enterprise. The certificates will be for plastic packaging category-wise and shall include GST data of the enterprise.

11.9 The certificate for plastic packaging waste provided by registered plastic waste processors shall be in the name of registered PIBOs or Local authorities, as applicable, based upon agreed modalities. CPCB will develop mechanism for issuance of such certificate on the centralized portal.

End of Life Disposal

11.10 The Plastic Waste Processors undertaking end-of-life disposal of plastic packaging waste viz. waste to energy, waste to oil, cement kilns (co processing) shall provide information on an annual basis as per prescribed pro forma, on the centralized portal developed by CPCB. These entities shall ensure the disposal of plastic packaging waste as per relevant rules, guidelines framed by regulatory bodies in an environmentally sound manner.

12. Role of CPCB

Registration

12.1 The CPCB shall register PIBOs who are operating in more than two states and plastic waste processors, through online portal. CPCB shall prescribe the standard operating procedure for registration of PIBO under PWM Rules, 2016.

12.2 The CPCB may charge fee for processing of applications for registration and an annual fee for processing of returns, as per procedure prescribed by it. In case, where PIBOs, are operating in the jurisdiction of a SPCB/PCC, the CPCB as per guidelines so decided, share the application fee with the concerned SPCB/PCC.

12.3 The registration shall be done within two weeks from the submission of a complete application online by the PIBO. The tenure of registration shall be as per PWM Rules, 2016.

Verification and Audit

12.4 CPCB by itself or through a designated agency shall verify compliance of PIBOs through inspection and periodic audit, as deemed appropriate. CPCB, as required, can also verify compliance of Plastic Waste Processors through inspection and periodic audit. The actions against violations and for non-fulfilment of EPR obligations shall be as per clause 9. In case of plastic waste processors and PIBOs operating a state/UT, CPCB may, if required, direct SPCB to take action.

Annual Report on Implementation of EPR

12.5 CPCB shall publish the list PIBOs who have failed to meet EPR target and obligations on an annual basis.

Dialogue with Stakeholders

12.6 CPCB will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations for plastics under PWMR, 2016.

Compositional Characterization of Waste

12.7 CPCB shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis. The first survey shall be carried out by 31 December 2021.

Review of Technologies

12.8 The CPCB shall carry out review of technologies related to plastic packaging and plastic waste management for techno-economic viability and feasibility specifically with respect to clause 7.12.

13. Role of SPCB / PCC

Registration, Verification and Audit

13.1 The concerned SPCB/PCC shall register PIBOs (operating in one or two states) and plastic waste processors, through the online portal developed by CPCB. Provision for registration shall be made on the EPR portal. SPCB/PCC by itself or through a designated agency verify compliance of PIBO through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, of PIBOs as well as plastic waste processors in their jurisdiction as per PWM Rules, 2016. The actions against violations and for non-fulfilment of EPR target, obligations and responsibilities shall be as per clause 9.

Annual Report on Implementation of EPR

13.2 The SPCB/PCC shall bring out a list of entities (Exception Report) which have not fulfilled their EPR responsibilities on annual basis and publish the same on their website. The SPCB/PCC shall submit the Annual Reports submitted by PIBOs and plastic waste processors in their jurisdiction to CPCB and upload the same on the online EPR portal.

Dialogue with Stakeholders

13.3 SPCB/PCC will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations for plastics under PWMR, 2016.

Compositional Characterization of Waste

13.4 SPCB/PCC shall carry out a compositional survey of collected mixed municipal waste to determine the share of plastic waste as well as different categories of plastics packaging material on a half-yearly basis. The first survey shall be carried out by 31 December 2021.

14. Plastic Packaging Waste Collection System by PIBOs

14.1 PIBO while fulfilling their EPR obligations may develop collection and segregation infrastructure of plastic packaging waste, as required, based on the category of plastics. It may include the following based on implementation modality of EPR adopted by PIBO:

(a) establish waste plastic collection points and Material Recovery Facilities (MRFs);

(b) ensure the collection of the plastic packaging waste from the collection points, with a frequency that is proportionate to the area covered and the volume;

(c) offer the collection of plastic, from the entities like ULB, gram panchayats, other public authorities or third parties carrying out waste management, and provide for the collection from all entities that have made use of that offer; provide for the necessary practical arrangements for collection and transport;

(d) ensure that the plastic packaging waste collected from the collection points are subsequently subject to recycling in a registered facility by a recycler or its permitted end use in the dignated manner.

14.2 PIBOs may ensure that the network of collection points taking into account population size, expected volume of plastic /packaging waste, accessibility and vicinity to end-users, not being limited to areas where the collection and subsequent management is profitable.

14.3 The entities involved in waste collection will hand over the waste for treatment and recycling or for identified end uses.

14.4 Participation of voluntary collection points - Voluntary collection points will hand over plastic packaging waste to the PIBOs or third party agencies acting on their behalf with a view to their treatment and recycling or their identified end use.

15. Fulfilment of EPR Obligations

The PIBO shall have to provide the details of recycling certificate only from registered recyclers along with the details of quantity sent for end of life disposal, by 30 April of next financial year while filing annual returns on the online portal. The details provided by PIBOs and registered plastic waste processors will be cross-checked by the online portal. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of EPR obligation of PIBO. The certificates shall be subject to verification by CPCB/SPCB/PCC, as the case may be.

16. Centralized Online Portal

16.1 CPCB shall establish an online system for the registration as well as for filing of returns by PIBOs (annual), plastic waste processors of plastic packaging waste by 31 March 2022. Such a system shall ensure a mechanism wherein the material balance of the plastic waste introduced in the market by manufacturer of plastic packaging material and PIBOs in a financial year is reflected. It shall also reflect the details regarding the audit of the PIBOs as well as recyclers/other waste processors of plastic packaging waste.

16.2 The SPCB / PCC shall also use the same web portal for registration of PIBO as well as recyclers/waste processors. The web portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of EPR for plastic packaging waste under PWMR, 2016. PIBO may, if they so desire, facilitate the development of online web portal/platform.

16.3 Till the online web portal is developed all activities related to implementation of EPR under Plastic Waste Management Rules, 2016 will be done in offline manner.

17. Monitoring

SPCB/PCC shall submit annual report on EPR portal with respect to fulfilment of Extended Producer Responsibility by PIBOs (which include manufacturers of plastic packaging material) and plastic waste processors in the State/UT to CPCB. The report shall also be submitted to the State Level Monitoring Committee constituted under PWMR, 2016. SPCB shall also submit annual report with respect to recyclers/end of life disposal in the State/UT to CPCB.

18. Committee for EPR under PWM Rules

18.1 A committee shall be constituted by the CPCB under chairmanship Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to MoEFCC for effective implementation of EPR including amendments to EPR guidelines. The committee shall monitor the implementations of EPR and also take such measures as required for removal of difficulties. The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the online portal including approval of requisite forms/pro forma.

18.2 The committee shall comprise of representatives from concerned line Ministries/Departments such as MoHUA, MSME, DDWS, DCPC; various organizations such as CPCB, SPCBs/PCCs, CIPET, NEERI and stakeholders such as PIBOs, and any other invitee as decided by the chair of the committee.

[F. No. 17-2-2001 (Pt)-Part I-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

ANNEXURE

Examples for Clause 7

EPR Target and Minimum level of recycling of plastic packaging waste

[Refer Clause 7.2 (a), (b) & (c), Clause 7.3 (a), (b) & (c), and Clause 7.4 (a), (b) & (c)]

Example 1:

Year 2022-23	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging*)*	*100 MT*
EPR Target @ 70 % (Refer Table 1)	*70 MT*
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under EPR @ no threshold prescribed (Refer Table 2)	*Quantity of plastic packaging waste collected under EPR and recycled as per actuals* *Quantity of plastic packaging waste collected under EPR and used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc. as per actuals*

Example 2:

Year 2023-24	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging*)*	*100 MT*
EPR Target @ 100 % (Refer Table 1)	*100 MT*
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under EPR @ 30% (Refer Table 2)	*Minimum 30 MT of plastic packaging waste collected under EPR needs to be recycled.* *Remaining plastic packaging waste collected(Maximum 70 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.*

Example 3:

Year 2028-29	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging*)*	*100 MT*
EPR Target @ 100 % (Refer Table 1)	*100 MT*
Minimum level of recycling of plastic packaging waste collected under EPR @ 60 % (Refer Table 2)	*Minimum 60 MT of plastic packaging waste collected under EPR needs to be recycled.* *Remaining plastic packaging waste collected(Maximum 40 MT) may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.*

Reuse

[Refer Clause 7.4 (b)]

Example 4:

Year 2023 – 24 (Minimum obligation for reuse comes into effect)	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)	*100 MT*
Reuse of Category I rigid plastic packaging of product with volume or weight equal or more than 0.9 litres or kilogrammes but less than 4.9 litres or kilogrammes	*15 MT* *(Reuse @ 15 %; minimum obligation for reuse 10 %)*
Fresh plastic packaging introduced (A)	*85 MT*
EPR target for compliance @ 100% of (A) (see Table 1)	*85 MT*
Minimum level of recycling of Category I plastic packaging waste collected under EPR @ 50% (Refer Table 2)	*Minimum 42.5 MT of plastic packaging waste collected under EPR needs to be recycled.* *A maximum of 42.5 MT plastic packaging waste collected may be used for energy recovery, co-processing, road construction, waste to oil etc.*

Example 5:

For Year 2021 - 22	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category I Rigid Plastic Packaging)	*100 MT*
Reuse of Category I rigid plastic packaging of product with volume or weight equal or more than 0.9 litres or kilogrammes but less than 4.9 litres or kilogrammes	*10 MT*
Fresh plastic packaging introduced (A)	*90 MT*
EPR Target @ 35 % of (A) (see Table 1)	*31.5 MT*

<u>Use of recycled content</u>

Example 6:

Year 2023-24	
Plastic packaging introduced in the market category-wise (Category II Flexible plastic packaging*)*	*100 MT*
EPR Target as per clause 5.1 @ 100 % (see Table 1)	*100 MT*
Minimum content of recycled plastic in packaging @ 20%	*20 MT of plastic content in the packaging should be recycled plastic* *80 MT of virgin plastic content in packaging*

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.07 22:23:53 +05'30'